प्रकरण संख्या 59/2024

तारीख हुक्म	अनवान् गुरदास सिंह वगैरा बनाम साधुसिंह वगैरा	नम्बर व इहकाम जो की तामील मे
30.5.2025		

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावजों व प्रार्थी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का भली–भांति अवलोकन किये जाने पर प्रार्थीगण को चक 1 आईडीजी खाता संख्या 28/4 में दर्ज भूमि में मन्जूर शुद्दा रास्ते का अभाव होने के कारण अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी खातेदारी भूमि मे से बिना कोई प्रतिफल के रास्ता स्वीकृत करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई है एवं अप्रार्थी संख्या 4 ने रास्ते के बदले भूमि दिये जाने पर रास्ता स्वीकृत करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई है इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–251(A) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम–1955 के नियम–68 से 70 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी चक 1 आईडीजी प.न. 152/126 के मु.न. 43 के किला नम्बर 3/1/0.025 है. (किला की पूर्वी दिशा में मुख्य रास्ता से उतर से दक्षिण की ओर 165 फुट लम्बा व 16.5 फुट चौड़ा) रास्ता स्वीकृत किया जाता है एव अप्रार्थी संख्या 4 की आराजी चक 1 आईडीजी प.न. 152/126 के मु.न. 43 के किला नम्बर 8/0.003 है. (किला के उत्तरी पूर्वी कोण में 20 फुट लम्बा व 16.5 फुट चौड़ा रास्ता) स्वीकृत किया जाता है और प्रार्थीगण के नाम से चक 1 आईडीजी के खाता संख्या 28/4 ज.स. 2073–2076 में दर्ज कुल 1.771 है. कृषि भूमि मे से प.न. 152/126 मु.न. 43 किला नं. 13/0.003 है. (किला की पश्चिमी दिशा में उतर से दक्षिण की ओर 165 फुट लम्बी व 2 फुट चौड़ी) कृषि भूमि का अप्रार्थी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रार्थीगण का बहिब हिस्सा कम किया जाकर अप्रार्थी संख्या 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार अंकन किया जावें। तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.5.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

उपखण्ड अधिकारी ... जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner